# हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग

\*\*\*\*

संख्या : टी॰पी॰टी-ए(3)-5/2020

तारीख शिमला-2, 20 जुलाई, 2021

### अधिस्चना

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 210 क के अनुसार, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने पर लागू किए जाने वाले एक से अन्यून और दस से अनिधिक गुणक (मल्टीप्लायर) विनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार का उपांतरित जुर्माना राज्य में प्रवृत होगा तथा विभिन्न गुणक (मल्टीप्लायर) मोटरयानों के ऐसे विभिन्न वर्गों पर लागू किए जा सकेंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए वर्गीकृत किए जाएं |

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 200 के साथ पठित धारा 210 क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निम्न-विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किए गए विभिन्न अपराधों के लिए उपांतरित जुर्माने और जुर्माने की प्रशमनीय सीमाओं को अधिसूचित करते हैं:-

## अनुस्ची

1	2	3	4	5
क्रम	धारा	प्रशमनीय अपराध	उपांतरित जुर्माना	परानिहित प्राधिकारी
संख्या			(गुणक 1.5 से गुणा	द्वारा प्रशमन के लिए
			करने के पश्चात्)	जुर्माने की सीमा
				(गुणक 1 से गुना
				करने के पश्चात्)
1.	177	उपबन्धों, नियमों,	प्रथम अपराध के	प्रथम अपराध के
		विनियमों और	लिए ₹ 750/- तक	लिए ₹ 500/- और
		अधिसूचनाओं का	और द्वितीय या	द्वितीय या पश्चातवर्ती
		उल्लंघन	पश्चातवर्ती अपराध के	अपराध के लिए ₹
			लिए ₹ 2,250/- तक	1500/-
2.	178 (1)	बिना पास या टिकट के	₹ 750/- तक	₹ 500/-

- 1		यात्रा करना		
	470 (0)	<del></del>	= 7FO/ TT	₹ F00/
3.	178 (2)	मंजली गाड़ी के	₹ 7507- तक	₹ 500/-
		परिचालक द्वारा कर्तव्य		
		की अवहेलना		
4.	178 (3)	यदि संविदा गाड़ी	₹ 75/- तक	₹ 50/-
	(क)	(दुपहिया या		
		तिपहियायान) का		
		अनुज्ञप्तिधारी या चालक		
		अधिनियम और नियमों		
		के उल्लंघन में यान		
		चलाने या यात्रियों को ले		
		जाने से इन्कार करता है।		
5.	178 (3)	यदि संविदा गाड़ी	₹ 750/- तक	₹ 500/-
	(ख)	(दुपहिया या तिपहियायान		
		के सिवाय) का		
		अनुज्ञसिधारी या चालक		
		अधिनियम और नियमों		
		के उल्लंघन में यान		
		चलाने या यात्रियों को ले		
		जाने से इन्कार करता है।		
6.	179	प्राधिकारी के आदेशों,	₹ 3,000/- तक	₹ 1,000/-
		निर्देशों की जानबूझकर		
		अवज्ञा करना और बाधा		
		डालना या उसे सूचित		
		किए जाने से इन्कार		
		करना		
7.	180	अनधिकृत व्यक्ति से	₹ 7,500/-	₹ 5,000/-
		मोटरयान चलावाना या		
		उसे चलाने हेतु अनुमत		
		करना		

8.	181	बिना अनुज्ञप्ति के यान	₹ 7,500/-	₹ 5,000/-
		चलाना (अधिनियम की		
		धारा 3 या 4 के उल्लंघन		
		में)		
9.	182 (1)	अधिनियम के अधीन	₹ 15,000/-	₹ 10,000/-
		निरर्हता के दौरान यान		
		चलाना या तथ्य को		
		प्रकट किए बिना आवेदन		
		करना या अनुज्ञित प्राप्त		
		करना		
10.	182 (2)	यदि निरर्हित परिचालक,	₹ 15,000/- तक	₹ 5,000/-
		परिचालक के रूप में		
		कार्य करता है या		
		अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन		
		करता है या प्राप्त करता		
11.	182 क			
	(1)	के उल्लंघन में यदि	पर एक लाख पचास	
		निर्माता, आयातक या	हजार रूपये।	रूपये (फिक्सड)
		डीलर मोटरयान का		
		विक्रय करता है या		
		वितरित करता है या		
		परिवर्तित करता है या		
		विक्रय करने या वितरित		
		करने या परिवर्तित करने		
		का प्रस्ताव करता है		
12.	182 व		ऐसे प्रत्येक घटक प	र ऐसे प्रत्येक घटक
	(3)	महत्वपूर्ण सुरक्षा घटव		
		का विक्रय करता है य	हजार रूपये।	(फिक्सड)
		विक्रय करने का प्रस्ताव	<b>a</b>	

		करता है या विक्रय की		
		अनुमति देता है, जो		
		अध्याय ७ के अनुपालन		
		में नहीं है		
13.	182 क	स्वामी द्वारा मोटरयान का	₹ 7,500/- प्रति	₹ 5,000/- प्रति
	(4)	ऐसी रीति में परिवर्तन	परिवर्तन	परिवर्तन (फिक्सड)
		करना जो अधिनियम या		
		नियमों के अधीन अनुज्ञेय		
		नहीं है		
14.	182 ख	धारा 110 के साथ पठित	₹ 7,500/-	₹ 7,500/-
		धारा 62 क का	(न्यूनतम)	
		अतिक्रमण करने वाले	₹ 15,000/-	
		वृहतर यानों के	(अधिकतम)	
		रजिस्ट्रीकरण और		
		उपयुक्तता प्रमाण पत्र पर		
		रोक		
15.	183 (1)	धारा 112 में निर्दिष्ट गति	₹ 1,500/-	₹ 1,500/-
	(i)	सीमा के अतिक्रमण में	(न्यूनतम)	
		हल्का मोटरयान चलाना।	₹ 3,000/-	
			(अधिकतम)	
16.	183 (1)	धारा 112 में निर्दिष्ट गति	₹ 3,000/-	₹ 3,000/-
	(ii)	सीमा के उल्लंघन में	(न्यूनतम)	
		माध्यम माल/ यात्री यान	₹ 6,000/-	
		या भारी माल/यात्री यान	(अधिकतम)	
		चलाना		
17.	184	यान चलाते समय केवल		
		हाथ से चलने वाले संचार	ਕਿੰਦ ₹ 1,500/-	लिए ₹ 2,500/-
		उपकरण (उदाहरणार्थ	(न्यूनतम) ₹	
		मोबाइल फोन आदि) का	7,500/-	पश्चातवर्ती अपराध 3
		उपयोग करने तक	(अधिकतम) यदि	वर्ष के भीतर किया

	***************************************	खतरनाक तरीके से वाहन	द्वितीय या पश्चातवर्ती	जाता है तो ₹
		चलाना	अपराध 3 वर्ष के	10,000/-
			भीतर किया जाता है	
			तो ₹ 15,000/-	
			(नियत)	
18.	186	किसी भी रोग या	प्रथम अपराध के	प्रथम अपराध के
		नि:शक्तता से पीड़ित होने	ਕਿੰਧ ₹ 1,500/-	ਕਿੰਧ ₹ 1,000/-
		पर यान चलाना जो	तक और पश्चातवर्ती	और पश्चातवर्ती
		जनता के लिए खतरे का	अपराध के लिए ₹	अपराध के लिए ₹
		कारण (स्त्रोत) हो सकता	3,000/- तक	2,000/-
		\$		
19.	189	सार्वजनिक स्थानों पर	प्रथम अपराध के	प्रथम अपराध के
		रेसिंग (दौड़) या गति का	लिए ₹ 7,500/-	ਕਿੰਧ ₹ 5,000/-;
		परीक्षण	(नियत), पश्चातवर्ती	पश्चातवर्ती अपराध
			अपराध के लिए ₹	के लिए ₹
			15,000/- (नियत)	10,000/-
20.	190 (2)	यान चलाते समय सड़क	प्रथम अपराध या	प्रथम अपराध या
		सुरक्षा, ध्वनि नियन्त्रण	पश्चातवर्ती अपराध के	पश्चातवर्ती अपराध
		या वायु प्रदूषण के	लिए ₹ 15,000/-	के लिए ₹
		सम्बन्ध में निर्धारित	तक	5,000/-
		मानकों अतिक्रमण		
		करना		
21.	192	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र	प्रथम अपराध के	प्रथम अपराध के
		के बिना यान का उपयोग	लिए ₹ 3,000/-	लिए ₹ 3,000/-
		करना	(न्यूनतम) - ₹	और पश्चातवर्ती
			7,500/-	अपराध के लिए ₹
			(अधिकतम) और	6,000/-
			पश्चातवर्ती अपराध के	
			लिए ₹ 7,500/-	
			(न्यूनतम)	

.

			₹ 15,000/-	
			(अधिकतम)	
22.	192 क	अनुज्ञिस की शर्तों या		
		धारा 66(1) के उल्लंघन		
		में यान चलाना या यान	अपराध के लिए ₹	अपराध हेतु ₹
		चलाने की अनुमति देना।	15,000/-	10,000/-
23.	194 (1)	अनुजेय भार सीमा से	अतिरिक्त भार के	अतिरिक्त भार के
		अधिक मालयान चलाना	लिए ₹ 30,000/-	लिए ₹ 20,000/-
		या मालयान चलाने की	और ₹ 3,000/-	और ₹ 2,000/-
		अनुमति देना	प्रति टन	प्रति टन
24.	194 (1)	मालयान को ऐसी रीति	₹ 30,000/-	₹ 20,000/-
	(क)	से चलाना, चलाने की		
		अनुमति देना कि भार		
		यान के आकार (बॉडी) के		
		किनारे से आगे या पीछे		
		तक या अनुज्ञेय सीमा से		
		अधिक ऊंचाई तक फैला		
		हो		
25.	194 (2)	रोकने और माल यान को	₹ 60,000/-	₹ 40,000/-
		तुलाई करने के लिए		
		प्रस्तुत करने से इनकार		
		करना		
26.	194 क	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र	₹ 300/- प्रति	₹ 200/- प्रति
		या अनुज्ञप्ति शर्तों के द्वारा	अतिरिक्त यात्री	अतिरिक्त यात्री
		प्राधिकृत से अधिक		
		यात्रियों के साथ यात्री		
		परिवहन यान को चलाना,		
		चलाने की अनुमति देना		
		या चलाने के लिए		
		अनुज्ञात करना		
		0.3/11/1		

27.	194 (ख)	बिना सुरक्षा बेल्ट पहने	₹ 1.500/-	₹ 1,000/-
- ' '	(1)	मोटरयान चलाना या सीट	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	(17	बेल्ट नहीं पहने वाले		
		यात्रियों को ले जाना		
28.	194 (ख)	14 वर्ष से कम आयु के	₹ 1.500/-	₹ 1,000/-
20.	(2)	बच्चों को सुरक्षा बेल्ट या		
	(2)	चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम के		
		बिना मोटरयान चलाना		
		या चलाने की अनुमति		
		देना		
29.	194 ग	धारा 128 के अधीन ऐसे	₹ 1500/-	₹ 1,000/-
23.	134 01	चालकों और पिछली सीट	( 1,300.	
		की सवारी के लिए सुरक्षा		
		उपायों के उल्लंघन में		
		मोटर साइकिल चलाना,		
		चलाने की अनुमति देना।		
30.	194 घ	धारा 129 के उपबन्धों के	₹ 1,500/-	₹ 1,000/-
50.		अतिक्रमण में मोटर		
		साइकिल चलाना, या		
		चलाने की अनुमति देना।		
31.	194 량	यदि मोटरयान का चालक	₹ 15,000/-	₹ 10,000/-
		राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट		
		अग्निशमन सेवा यान या		
		एम्बुलेंस या अन्य		
		आपातकालीन यान को		
		मुक्त-मार्ग (फ्री पैसेज)		
		देने में विफल रहता है		
32.	194 ਹ			
	(क)	सुरक्षा सुनिश्चित करने	लिए ₹ 1,500/-	ਕਿੰਧ ₹ 1,000/-
		हेतु अनावश्यक रूप से	द्वितीय और	द्वितीय और

				<del></del>
		या लगातार या	पश्चातवर्ती अपराध के	पश्चातवर्ती अपराध
		आवश्यकता से अधिक	ਕਿੰਧ ₹ 3,000/-	के लिए ₹
		हॉर्न बजाना या साइलेंस		2,000/-
		जोन में ट्रैफिक साइन के		
		होते हुए हॉर्न का उपयोग		
		करना		
33.	194 च	ऐसा मोटरयान चलाना	प्रथम अपराध के	प्रथम अपराध के
	(অ)	जिसमें साईलेंसर के	लिए ₹ 1,500/-	ਕਿਂਧ ₹ 1,000/-
		माध्यम से निकास गैस	द्वितीय और	द्वितीय और
		नहीं निकलती है	पश्चातवर्ती अपराध के	पश्चातवर्ती अपराध
			लिए ₹ 3,000/-	के लिए ₹
				2,000/-
34.	196	धारा 146 के अतिक्रमण	प्रथम अपराध के	प्रथम अपराध के
		में बिना बीमा के	लिए ₹ 3,000/-	लिए ₹ 2,000/-
		मोटरयान चलाना, चलाने	पश्चातवर्ती अपराध के	पश्चातवर्ती अपराध
		की अनुमति देना या	ਜਿए ₹ 6,000/-	के लिए ₹
		चलाने के लिए अनुजात		4,000/-
		करना		
35.	198	अवैध रूप से प्रवेश	₹ 1,500/-	₹ 1,000/-
		करना, ले जाना या यान		
		के ब्रेक या तंत्र के साथ		
		छेड़छाड़ करना		
San Carried				

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 194(ख)(1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए संविदा गाड़ी , मंजली गाड़ी, निजी सेवा यान (चालक के सिवाए, 12 सीटर से अधिक) और शैक्षणिक संस्थान बस (14 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को ले जाने वाली) को उक्त अधिनियम की धारा 194 (ख) की उपधारा (1) के उपबन्धों को लागू करने से अपवर्जित करते हैं |

प्रशमन शुल्क (फीस) के रूप में संगृहित रकम को मुख्य शीर्ष-0041-यान पर कर, 101- मोटरयान अधिनियम के अधीन (रसीद) प्राप्ति, 04-शास्ति में जमा किया जाएगा |

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम की धारा 210 क के अधीन निहित शिक्तयों का प्रयोग करते हुए यह भी अधिसूचित करते हैं कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी अप्रशमनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि पर उपांतरित जुर्माने की रकम, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंध में उल्लिखित जुर्माने के लिए डेढ़ (1.5) गुणा का गुणनफल करने के पश्चात परिकलित रकम होगी |

आदेश द्वारा,

(राम सुभग सिंह) अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार |

पृष्ठांकन संख्या : टी॰पी॰टी-ए(३)-5/2020 तारीख शिमला-2, 20 जुलाई, 2021 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार |
- 2. महापंजीयक, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला-1 |
- 3. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है की सम्बन्धित को इसका प्रसार किया जाए |
- 4. समस्त ज़िला एवं सत्र न्यायधीश, हिमाचल प्रदेश |
- 5. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला 171002.
- 6. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला 171002.
- 7. निजी सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला 171002.
- 8. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश |
- 9. निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-4 |
- 10. आयुक्त, आवकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश, कसुम्पटी, शिमला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है की सम्बन्धित को इसका प्रसार किया जाए |
- 11. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला 171003.
- 12. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला- 171004.

- 13. समस्त यातायात मजिस्ट्रेट, हिमाचल प्रदेश |
- 14. महानिरीक्षक, यातायात, पर्यटन और रेलवे, खलीनी, शिमला-2|
- 15. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश |
- 16. उप सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमंडल की बैठक दिनांक 23.02.2021 की मद संख्या 15 के सन्दर्भ में सूचनार्थ |
- 17. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश |
- 18. समस्त पंजीयन एवं अनुजापन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश |
- 19. नियन्त्रक, मुद्रण एवं प्रकाशन विभाग, हि<mark>माचल प्रदेश, शिमला-171005 को ई-गजट में</mark> प्रकाशन हेतु |
- 20. गार्ड नस्ति ।

(ओ॰पी॰ भण्डारी) संयुक्त सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार | दूरभाष — 0177-2626097 (Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-5/2020 dated 20<sup>th</sup> July, 2021 as required under article 348 (3)of the Constitution of India).

# Government of Himachal Pradesh Department of Transport

No. TPT-A(3)-5/2020

Dated: Shimla-2 the 20th July, 2021

### **NOTIFICATION**

WHEREAS, as per Section 210 A of the Motor Vehicles Act, 1988, a State Government shall, by notification in the official Gazette, specify multiplier (different multiplier to different classes of motor vehicles), not less than one and not greater than ten, to be applied to each fine under the said Act and such modified fine, shall be in force in the State and different multipliers may be applied to different classes of motor vehicles as may be classified by the State Government for the purpose of this section.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred by section 210 A read with section 200 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify modified fines and compounding limits of fines for various offences committed under the provisions of the Act ibid, as per the Schedule specified below:-

#### Schedule

1	2	3	4	5
Serial No.	Section	Compoundable Offence(s)	Modified fine (after multiplying with multiplier 1.5)	Limit of fine for compounding by designated/specified authorities (after multiplying with multiplier 1)
1.	177	Contravention of Provisions, Rules, Regulations and Notifications	Up to Rs. 750 for first offence and up to Rs. 2,250 for second or subsequent offence	Rs.500 for first offence and Rs.1,500 for second or subsequent offence
2.	178(1)	Travelling without pass or ticket	Up to Rs. 750	Rs. 500
3.	178(2)	Dereliction of duty by conductor of stage carriage	Up to Rs. 750	Rs. 500
4.	178(3)(a)	If the permit-holder or driver of contract carriage (two-wheeled or three-wheeled vehicle) refuses to ply or carry passengers in contravention of	Up to Rs. 75	Rs. 50

7 77		Act and rules		
5.	178 (3) (b)	If the permit-holder or driver of contract carriage (other than two- wheeled or three- wheeled vehicle) refuses to ply or carry passengers in	Up to Rs. 750	Rs. 500
		contravention of Act and rules		
6.	179	Willful disobedience of orders, directions and obstruction or refusal of information to authority	Up to Rs. 3,000	Rs. 1,000
7.	180	Causing or permitting unauthorized person to drive motor vehicle	Rs. 7,500	Rs. 5,000
8.	181	Driving vehicles without license (in contravention of section 3 or 4 of the Act)	Rs. 7,500	Rs. 5,000
9.	182 (1)	Driving during disqualification under the Act or applying or obtaining license without disclosing the fact	Rs. 15,000	Rs. 10,000
10.	182(2)	Disqualified conductor acting as conductor or applies or obtains the license	Up to Rs. 15,000	Rs. 5,000
11.	182 A(1)	Manufacturer, importer or dealer sells or delivers or alters or offers to sell or deliver or alter, a motor vehicle in contravention of the provisions of chapter VII		Rs. One lakh per such motor vehicle(fixed)
12.	182A(3)	Anyone sells or	Rs. One lakh fifty	Rs. One lakh per such

		offers to sell or permits the sale of critical safety component which does not comply	thousand per such component	component(fixed)
13.	182A(4)	with Chapter VII  Alteration of a motor vehicle by owner, in a manner not permissible under the Act or rules	Rs. 7,500 per alteration	Rs. 5,000 per alteration(fixed)
14.	182B	Prohibition of Registration & Fitness certificate to oversized vehicles violating section 62 A read with section 110	Rs. 7,500 (min)- 15,000 (max)	Rs. 7,500
15.	183(1)(i)	Driving light motor vehicle in contravention of the speed limits referred to in section 112	Rs. 1,500(min)- 3,000 (max)	Rs. 1,500
16.	183(1)(ii)	Driving medium goods/ passenger vehicle or heavy goods/passenger vehicle in contravention of the speed limits referred to in section 112	Rs. 3,000 (min) – 6,000 (max)	Rs. 3,000
17.	184	Driving dangerously only to the extent of using handheld communication device (e.g. mobile phone etc.) while driving	Rs. 1,500 (min)- 7,500 (max) for first offence Rs. 15,000 (fixed) if second or subsequent offence is committed within 3 years	Rs. 2,500 for first offence Rs. 10,000 if second or subsequent offence is committed within 3 years
18.	186	Driving while suffering from any disease or disability which can be source of danger to public	first offence and up to Rs. 3,000 for subsequent offence	offence and Rs. 2,000 for subsequent offence
19.	189	Racing or trial of speed in public places		offence Rs. 10,000 for

	T		subsequent offence	
20.	190(2)	While driving violating the standards prescribed in relation to road safety, control of noise or air pollution.	Up to Rs. 15,000 for first offence or subsequent offence	Rs. 5,000 for first offence or subsequent offence
21.	192	Using vehicle without registration certificate	Rs. 3,000(min)- Rs. 7,500(max) for first offence and Rs.7,500(min)- Rs. 15,000(max) for subsequent offence	Rs 3,000 for first offence and Rs.6,000 for subsequent offence
22.	192A	Driving, causing or allowing vehicle to be used in contravention of permit conditions or section 66 (1)	Rs. 15,000 for first or subsequent offence	Rs. 10,000 for first or subsequent offence
23.	194 (1)	Driving, causing or allowing to drive goods vehicle exceeding permissible weight limits	Rs. 30,000 and Rs. 3,000 per tonne for excess load	Rs. 20,000 and Rs. 2,000 per tonne for excess load
24.	194 (1)(A)	Driving, causing or allowing to drive goods vehicle in a manner that load extends laterally beyond the side of the body or to the front or to the rear or in the height beyond the permissible limit		Rs. 20,000
25.	194 (2)	Refusing to stop and submitting the goods vehicle to weighing		Rs. 40,000
26.	194A	Driving, causing or allowing to drive the passenger transport vehicle with more passengers than authorized by the certificate of registration or	passenger	Rs. 200 per excess passenger

		permit conditions		
27.	194B (1).	Drives motor vehicle without wearing a safety belt or carries passengers not wearing seat belts	Rs. 1,500	Rs. 1,000
28.	194B (2)	Driving, causing or allowing to drive a motor vehicle carrying children below the age of 14 years without safety belt or a child restraint system	Rs. 1,500	Rs. 1,000
29.	194C	Driving, causing or allowing to drive a motor cycle in contravention to safety measures for such drivers and pillion riders under section 128	Rs. 1,500	Rs. 1,000
30.	194D	Driving, causing or allowing to drive a motor cycle in contravention to provisions of section 129	Rs. 1,500	Rs. 1,000
31.	194E	Driver of motor vehicle fails to give free passage to a fire service vehicle or an ambulance or other emergency vehicle specified by the state government		Rs. 10,000
32.	194F (a)	While driving a motor vehicle sounds the horn needlessly or continuously or more than necessary to ensure safety, or in a silence zone with a traffic sign prohibiting the use of a horn	offence Rs. 3,000 for second and subsequent offence	Rs. 1,000 for first offence and Rs. 2,000 for second and subsequent offence

33.	194F(b)	Drives a motor vehicle in which exhaust gases are not released through silencer	offence Rs. 3,000 for second and	
34.	196	Driving, causing or allowing to drive a motor vehicle without insurance in contravention of section 146	Rs. 3,000 for first offence Rs. 6,000 for subsequent offence	Rs. 2,000 for first offence and Rs. 4,000 for subsequent offence
35.	198	Illegally entering, moving or tampering with break or mechanism of vehicle	Rs. 1,500	Rs. 1,000

The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by proviso to section 194B(1) of the Act ibid, is further pleased to exclude contract carriage, stage carriage, private service vehicle (more than 12 seater excluding driver) and educational institution bus (carrying students more than 14 years of age) from application of the provisions of sub-section (1) of Section 194 (B) of the said Act.

The amount collected as compounding fee will be deposited in the Major Head 0041- Taxes on vehicle, 101-Receipt under the Motor Vehicle Act, 04-Penalty. In exercise of the powers vested under section 210A of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is also pleased to notify the amount of modified fine on conviction for any non-compoundable offence under this Act, shall be the amount calculated after applying multiplier of one and half (1.5) to the fine mentioned in the relevant provision of this Act.

### By Order

Ram Subhag Singh
Addl. Chief Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh
Dated: Shimla-2, the 20<sup>th</sup> July, 2021

Endst. No TPT-A (3)-5/2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

2. The Registrar General, High Court of HP, Shimla-1.

- 3. The Director General of Police, Himachal Pradesh for circulation thereof to all concerned.
- 4. All District & Sessions Judge, Himachal Pradesh.

5. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.

- 6. The Additional LR-Cum- Additional Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 7. P.S to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 8. All the Deputy Commissioner, State of Himachal Pradesh.

- 9. The Director of Transport, Himachal Pradesh, Shimla-4.
- 10. The Commissioner, Excise and Taxation, Kasumpti, Shimla for further circulation thereof to all concerned.
- 11. The Managing Director, H.R.T.C, Shimla-3.
- 12. The Secretary, State Transport Authority, H. P., Shimla-4.
- 13. All Traffic Magistrate, Himachal Pradesh.
- 14. Inspector General, Tourist, Traffic & Railways, Khalini, Shimla-2.
- 15. All the Superintendent of Police, Himachal Pradesh.
- 16. The Deputy Secretary (GAD) to the Government of H.P. w.r.t Cabinet Item No. 15 of CMM Meeting dated 23.02.2021 for information.
- 17. All Regional Transport Officers of Himachal Pradesh.
- 18. All the SDMs (RLAs) in Himachal Pradesh.
- 19. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5 for publication in e-Gazette.
- 20. Guard File.

(O.P. Bhandari) Joint Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh Telephone No. 0177-2880693